

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर

पत्रांक-

/आई0आर0डी0-(इंजी.मं.भत्ता)/15

दिनांक-

2015

:: कार्यालय ज्ञाप ::

राज्य में 50 या 50 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग कारखानों में नियोजित श्रमिकों के परिवर्तनीय मंहगाई भत्तों की गणना के लिए शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2492/36-1-2000-549(एस0टी0)-84 दिनांक 15.05.2000 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100) के 426 अंकों के ऊपर मंहगाई को शत-प्रतिशत निष्प्रभावी किए जाने का प्राविधान है और मंहगाई भत्ते का समायोजन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर 01 फरवरी से पिछले वर्ष माह जुलाई से 31 दिसम्बर तक के सूचकांक के औसत पर होगा।

माह जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक के मूल्य सूचकांक क्रमशः 1167, 1171, 1171, 1171, 1171 व 1171 अंक है जिसका औसत 1170 आता है। अतः उपरोक्त कारखानों एवं नियोजन में कार्यरत सभी श्रमिकों के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को मंहगाई 426 अंकों के ऊपर 744 अंकों पर शत-प्रतिशत न्यून-प्रतिशत के आधार पर दिनांक 01 फरवरी, 2015 से जुलाई, 2015 तक की अवधि के लिए संगणनीय है।

(रीता भदौरिया)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

दिनांक- 25-6-2015

पत्रांक- 669-99 /आई0आर0डी0-(इंजी.मं.भत्ता)/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त।
- 2- अपर श्रम आयुक्त (प्रवर्तन) मुख्यालय।
- 3- एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, एसोचैम, 30प्र0, सी0- 107, इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- 4- पी0एच0डी0 चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, क्षेत्रीय कार्यालय, 1-ए ला प्लास, शाहजनपु, लखनऊ।
- 5- इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, 1-ए ला प्लास शाहजनपु, गेट लखनऊ।
- 6- कण्फेडरेशन ऑफ इण्डस्ट्रीज यू0पी0कमेटी, 23-26, इण्डस्ट्रियल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली।
- 7- महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, एफ-7, कार्पोरेशन क्वार्टर्स, पिशाचमोचन, वाराणसी, महामंत्री एटक, 12/1, ग्वालटोली, कानपुर। अध्यक्ष, सेण्टर ऑफ ट्रेड यूनियन, 19 विधानसभा मार्ग लखनऊ। अध्यक्ष, यू0टी0यू0सी0, 119/525, दर्शनपुरवा, कानपुर। अध्यक्ष, इण्टेक, 19 लाजपत राय मार्ग, लखनऊ एवं महामंत्री, हिन्द मजदूर सभा, 25/26 यूनियन भवन, आर्य नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से सम्बन्ध श्रम संघों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 8- उप श्रम आयुक्त (कम्प्यूटर) को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु।
- 9- उप श्रम आयुक्त (पुस्तकालय) को सूचनार्थ/अभिलेखार्थ।

(रीता भदौरिया)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

152
85-415

25/6/15